सम्मुख संजय कुमार, जज

बलदेव सिंह व अन्य - वादी(गण)

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य - उत्तरवादी(गण)

सी. डब्ल्यू. पी. 26887 ऑफ़ 2017

जनवरी 27, 2020

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 39(डी)-हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वेतनमान की समानता-वित्तीय बाधाएं-लेखा क्लर्क (एचपीजीसीएल) ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में खाता क्लर्कों (Rs. 9300-34800 + जी. पी. Rs. 3200) के वेतनमान की मांग की यानि 01.01.2006 - निगम ने 04.11.2009 को अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो कि हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की सहमति के अधीन था - राज्य सरकार ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था-फिर से, बोर्ड ने 17.08.2012 को अपनी बैठक में समानता देने का निर्णय लिया - ब्यूरो ने 26.03.2013 को राय दी कि निगम में खाता क्लर्कों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन तुरंत प्रभाव से वेतनमान देने की मंजूरी दे दी गई - निगम द्वारा 13.05.2013 को इसे प्रभावी कर दिया गया - कुछ अकाउंट क्लर्कों ने रिट याचिका दायर करके उन्हें राहत देने पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी - इस न्यायालय ने याचिकाओं को यह कहते हुए अनुमति दे दी कि ब्यूरो को निगम की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है | परिणामस्वरूप, अकाउंट क्लर्को को 17.08.2012 से संशोधित वेतनमान दिया गया। क्लर्क - याचिकाकर्ताओं ने पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित पे स्केल की मांग की - माना गया, अनुच्छेद 39 (डी) का मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के लिए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में शामिल है जो न्यायसंगत नहीं हैं - एक बार जब नियोक्ता अलग-अलग हो जाते हैं तो दो अलग-अलग संगठनों के कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने का सवाल आम तौर पर नहीं उठता है - क्योंकि निगम ने अपने विवेक से ऐसी समानता लागू करने का फैसला किया है, और विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि

इस तरह का लाभ किस तारीख से बढ़ाया जाना है - खाता लिपिकों को संशोधित वेतनमान का लाभ देने की तारीख तय करने के लिए इस स्तर पर वित्तीय बाधाएं उचित नहीं होंगी क्योंकि निगम ने स्वयं ही 04.11.2009 को निर्णय ले लिया है। बोर्ड के निर्णय के संदर्भ में लाभ का विस्तार करने के लिए - निर्णय को प्रभावी न करने का एकमात्र कारण ब्यूरो द्वारा इसकी अस्वीकृति थी, जो तय स्थिति के अनुसार, कारपोरेशन निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं रखता है

निगम-कम से कम उस तारीख से याचिकाकर्ताओं को वेतन संशोधन के लाभ से इनकार करने का कोई कारण नहीं है-तदनुसार, निगम को 04.11.2009 से वेतनमान में समानता लाने के अपने निर्णय को लागू करने का निर्देश दिया गया था।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ताओं के दावे के गुण-दोष को स्वीकार करने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 39 (डी), जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया गया था, इस मामले में किसी भी तरह से लागू नहीं होता है। इस तथ्य के इलावा कि उक्त अनुच्छेद अध्याय 4 में है।, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, जो न्यायोचित नहीं हैं, उक्त प्रावधान के लिए राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एचपीजीसीएल की सेवा में हैं और राज्य विभाग की सेवा में लेखा लिपिकों के साथ समानता चाहते हैं। एक बार जब नियोक्ता अलग-अलग हो जाते हैं, तो दो अलग-अलग संगठनों के कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू

करने का सवाल आम तौर पर नहीं उठेगा। यह कहा जा रहा है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि एचपीजीसीएल ने अपने विवेक से इस तरह की समानता को लागू करने का विकल्प चुना और एकमात्र मुद्दा जो विचार के लिए बचा है वह, वह तारीख है जिससे एचपीजीसीएल की सेवा में लेखा लिपिकों को इस तरह का लाभ दिया जाना चाहिए।

(पैरा 15)

आगे कहा कि, इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि एच. पी. जी. सी. एल. द्वारा झेले जाने वाली वित्तीय बाधाएं, यदि कोई हों, इस स्तर पर यह तय करने के लिए प्रभावी नहीं होंगी कि किस तारीख से लेखा लिपिकों को एचपीजीसीएल के बोर्ड के निर्णयों के संदर्भ में लाभ दिया जाना चाहिए। इस तरह का निर्णय लेने के बाद, एचपीजीसीएल के लिए अब इस आधार पर इसे प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं है कि वह भारी वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है। जब तक वह याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाता है और इस स्वीकार किए गए रुख को देखते हुए कि उसने वेतनमान की समानता लाने का विकल्प चुना है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, एचपीजीसीएल मौद्रिक विचारों पर अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने में संकोच नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एचपीजीसीएल में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान को राज्य सेवा में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान के बराबर लाने के लिए संशोधित किया गया था। जैसा कि वर्ष 2009 में प्रस्तावित था, 01.01.2006 को एचपीजीसीएल के बोर्ड द्वारा 21.10.2013 को आयोजित 93वीं बैठक में अपने निर्णय द्वारा इसे प्रभावी किया गया।

(पैरा 18)

आगे कहा कि इस संबंध में यह अदालत इस अकाट्य तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती है कि एचपीजीसीएल ने बहुत पहले 04.11.2009 को अपनी सेवा में लेखा लिपिकों के बीच राज्य सेवा में लेखा लिपिकों के साथ समानता लाने का संकल्प लिया था।

उक्त प्रस्ताव दिनांक 04.11.2009 को प्रभावी नहीं किए जाने का एकमात्र कारण 2010 में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा उसकी अस्वीकृति थी। हालाँकि, जैसा कि अब यह तय हो गया है कि एचपीजीसीएल द्वारा इस तरह के निर्णय लेने में हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कम से कम उस तारीख से वेतन संशोधन के लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2012 में भी, एचपीजीसीएल द्वारा सरकार को संबोधित अपने पत्र दिनांक 03.09.2012 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव यह था कि इस तरह की समानता को 01.01.2006 से लागू किया जाना चाहिए। एचपीजीसीएल अब उस तथ्य और अपने पहले के निर्णय दिनांक 04.11.2009 को आसानी से नजरअंदाज करना चाहता है और इसे 17.08.2012 पर लाकर इस तरह के प्रस्ताव को प्रभावी बनाने की तारीख को संशोधित करना चाहता है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जब बोर्ड के बाद के निर्णय को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के समक्ष उसी अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन किया गया था, तो इस न्यायालय द्वारा इसे शून्य कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड के पहले के निर्णय को किसी भी समय

चुनौती नहीं दी गई थी, बोर्ड के पहले के निर्णय को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि इस तरह की अस्वीकृति के बारे में याचिकाकर्ताओं को कभी बताया गया था, जिसके तहत अब उन पर देरी करने का आरोप लगाया जा सकता है।

(पैरा 19)

पुनीत बाली, वरिष्ठ अधिवक्ता
सत्यम अनेजा, अधिवक्ता
याचिकाकर्ताओं के लिए।
डी.एस.नलवा, ए.ए.जी, हरियाणा ।

संजय कुमार, जज ।

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीजीसीएल) की सेवा में लेखा क्लर्क हैं, जो दूसरे प्रतिवादी हैं। वे एचपीजीसीएल द्वारा पारित दिनांक 18.9.2017 (अनुलग्नक पी-15) के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत Rs. 5000-7450 के वेतनमान के अनुदान के लिए उनकी पात्रता की तारीख, जिसके बाद इसे संशोधित करके 9300-34800 + जी.पी. 3200 रूपये कर दिया गया, को 17.08.2012 के रूप में तय किया गया था। यह उनका मामला है कि वे इस तरह के वेतनमान यानि 01.01.2006 के हकदार होंगे। उन्होंने एचपीजीसीएल द्वारा पारित दिनांक 31.10.2017 (अनुलग्नक पी-16) के

कार्यालय आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें यानि 17.08.2022 से लाभ दिया गया है और दिनांक 01.10.2012 से उनके वेतन के पहले के काल्पनिक निर्धारण के कारण उन्हें 01.01.2006 से दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली का निर्देश दिया गया है।

याचिकाकर्ता के वेतनमान को हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में लेखा लिपिकों के वेतनमान 01.01.2006 से या उनके ज्वाइन करने की तारीख से संशोधित करने के लिए एचपीसीएल को परिणामी निर्देश देने की मांग की गई है जैसा कि एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था

(2) इस रिट याचिका में पारित दिनांक 28.11.2017 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं से वसूली नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ताओं द्वारा इस आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाते हुए सीएम-5729-सीडब्ल्यूपी-2018 दायर किया गया था।

(3) याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2008 में Rs. 4000-6000 के वेतनमान पर एचपीजीसीएल की सेवा में लेखा लिपिक के रूप में प्रवेश किया। उस समय हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में लेखा लिपिकों का वेतनमान Rs. 5000-7850 था। छठे वेतन आयोग की सिफारिश के कारण इसे संशोधित कर Rs. 9300-34800 + जी पी रूपये 3200 यानि 01.01.2006 कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दोनों

संगठनों में लेखा लिपिकों की योग्यताओं के साथ-साथ कार्य और जिम्मेदारियां समान थीं। जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, वेतनमान में असमानता के कारण, विसंगति को दूर करने के लिए वर्ष 2009 में एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष एक ज्ञापन रखा गया था।

(4) इस ज्ञापन पर एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल द्वारा 04.11.2009 को आयोजित 76वीं बैठक में विचार किया गया। इस ज्ञापन में प्रासंगिक प्रस्ताव इस प्रकार हैः

> 'लेखा लिपिक (नियुक्ति की तारीख से) और अनुभाग अधिकारियों (1 जनवरी 06 से) के वेतनमान को राज्य सरकार के समान बढ़ाया जाना चाहिए। इसके इलावा, लेखा लिपिक, कनिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पदों का विलय किया जाना चाहिए और 2 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर लेखा लिपिक को कनिष्ठ लेखाकार के रूप में नामित किया जाना चाहिए और 3 साल की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर कनिष्ठ लेखाकार को बिना किसी वित्तीय उन्नयन के लेखाकार के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

(5) निदेशक मंडल ने निम्नलिखित संशोधन के अधीन वनरोपण प्रस्ताव को मंजूरी दीः

'लेखा अधिकारी के लिए समय सीमा को क्रमशः दो वर्ष या नौ वर्ष के बजाय पांच वर्ष या बारह वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा के लिए बढ़ाया जाएगा।

(6) बोर्ड ने आगे निर्णय लिया कि प्रस्ताव संभावित रूप से प्रभावी होगा।

(7) हालाँकि, वनाच्छादित बोर्ड प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया था।इसलिए, कुछ लेखा लिपिकों ने इस संबंध में फिर से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिससे प्रबंध निदेशक द्वारा एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल को एक और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। यह ज्ञापन दिनांकित 07.08.2012 था। जहाँ तक विषय मुद्दे का संबंध है, ज्ञापन में निम्नानुसार कहा गया हैः

'4. हरियाणा के सिंचाई विभाग में समान योग्यता यानी B.Com या इसके समकक्ष के साथ काम करने वाले लेखा लिपिक को 5000-7450 रुपये के वेतनमान की अनुमति दी गई है। (बाद में संशोधित रु 9300-34800 + जी.पी. रु. 3200/- वेतनमान यानी 01.01.2006 के संशोधन के कारण) (अनुलग्नक-3) दिया गया । इसलिए, एचपीजीसीएल में काम करने वाले लेखा लिपिक को सिंचाई विभाग, हरियाणा में समान

योग्यता के साथ काम करने वाले लेखा लिपिक की तुलना में कम वेतनमान मिल रहा है।

5. एचपीजीसीएल में काम करने वाले लेखा लिपिक बार-बार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें 5000-7450 वेतनमान की अनुमति दी जाए (जिसे आगे संशोधित कर Rs. 9300-34800 + GP 3200/- यानी 01.01.2006 से कर दिया गया है) जैसा कि सिंचाई विभाग, हरियाणा (अनुलग्नक-4) में कार्यरत लेखा लिपिक को अनुमति दी जा रही है।

(8) एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल के समक्ष 17.8.2012 को हुई 88वीं बैठक में प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के बारे में थाः

‘11. निदेशक मंडल कृपया 5000-7450 रुपये के वेतनमान (बाद में संशोधित 9300-34800 + जी. पी. 3200 रूपये) के अनुदान के प्रस्ताव पर 01.01.2006 के सामान्य संशोधन के कारण एचपीजीसीएल. में काम करने वाले लेखा लिपिक के वेतनमान को राज्य सरकार सिंचाई विभाग में काम करने वाले लेखा लिपिक के बराबर पर विचार कर सकता है।

(9) निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव पर विचार किया और हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मंजूरी के अधीन, ज्ञापन में निर्धारित के रूप में इसे मंजूरी दी। इसके बाद, एचपीजीसीएल के प्रबंध निदेशक ने हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को

दिनांक 03.09.2012 के पत्र को संबोधित करते हुए अनुरोध किया कि इस मामले को राज्य सरकार/हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के साथ उठाया जाना चाहिए ताकि 9300-34800 + जी.पी.3200 एचपीजीसीएल में काम करने वाले लेखा क्लर्कों को सिंचाई विभाग में काम करने वाले लेखा क्लर्कों के बराबर 01.01.2006 से बढ़ाया जा सकता है।

इसके बाद हरियाणा लोक उद्यम ब्यूरो ने 26.03.2013 को आयोजित अपनी बैठक में कहा कि एचपीजीसीएल में लेखा लिपिकों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है, काम की प्रकृति और पद से जुड़ी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एचपीजीसीएल में लेखा लिपिकों को 9300-34800 + जी.पी.3200 के स्थान पर 5200-20200 + जीपी 2400 रूपये के वेतनमान को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दी। राज्य सरकार ने एचपीजीसीएल को संबोधित अपने दिनांक 23.04.2013 पत्र के माध्यम से इस निर्णय की अपनी मंजूरी का समर्थन किया। एचपीजीसीएल द्वारा दिनांक 13.05.2013 के कार्यालय आदेश के माध्यम से इसे लागू किया गया था ।

(10) घटना के इस मोड़ से व्यथित होकर, एचपीजीसीएल के कुछ लेखा लिपिकों ने इस न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी -23816-2013 और सी. डब्ल्यू. पी.-24965-2013 दायर किया। इन रिट याचिकाओं को एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिनांक 23.04.2015 के सामान्य आदेश के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। उक्त आदेश की एक प्रति रिकोर्ड में रखी

गई है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान न्यायाधीश ने मुख्य रूप से इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या राज्य सरकार/हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की एचपीजीसीएल के मामलों में कोई भूमिका थी। इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए एलपीए-383-2014, अनुमान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड व एक अन्य बनाम पवन कुमार व अन्य, विद्वान न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि न तो राज्य और न ही उसके सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को एचपीजीसीएल के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है। विद्वान न्यायाधीश ने तदनुसार उन विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जिसके तहत एचपीजीसीएल द्वारा दी गई राहत को प्रतिबंधित किया गया था।

(11) परिणामस्वरूप, दिनांक 07.12.2015 को एचपीजीसीएल के सचिव ने कार्यालय आदेश दिनांक 13.05.2013 में संशोधन किया और 17.08.2012 को आयोजित बैठक के दौरान एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार लेखा क्लर्क का वेतनमान के सामान्य संशोधन 5000-7500 (बाद में संशोधित 9300-34800 + जी. पी. 3200 रूपये यानी 01.01.2006) से बढ़ा दिया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सीओसीपी -2493-2015 और सीओसीपी-1489-2016 में सीडब्ल्यूपी-23816-2013 और सीडब्ल्यूपी-24965-2013 में पारित आदेश के जानबूझकर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की। हालाँकि, उसमें पारित दिनांक 30.05.2017 के आदेश द्वारा,

याचिकाकर्ताओं को रिट याचिकाओं में एक आवेदन दायर करने और यह स्पष्टीकरण मांगने की स्वतंत्रता दी गई थी कि किस तारीख से संशोधित वेतनमान को प्रभावी किया जाना था।

(12) याचिकाकर्ताओं ने तब सीडब्ल्यूपी-23816-2013 में स्पष्टीकरण के लिए सीएम-8380-सीडब्ल्यूपी-2017 दायर की । दिनांक 17.08.2017 के आदेश के अनुसार, उक्त आवेदन का निपटारा किया गया, यह स्पष्ट करते हुए कि हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है और एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल को उस तारीख तक निर्णय लेने की अनुमति दी गई है जिससे याचिकाकर्ताओं के वेतनमान में संशोधन किया जाना था। वनाच्छादित आदेश के अनुसार, एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल ने 18.09.2017 को आयोजित अपनी 111वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया और निर्णय लिया कि वेतनमान 5000-7450 रुपये (9300 रुपये तक संशोधित) देने के लिए पात्रता की तारीख तय की जाएगी। एचपीजीसीएल में काम करने वाले लेखा लिपिकों के वेतनमान में सामान्य संशोधन के कारण 01.01.2006 से -34800 + जीपी रु. 3200 की तारीख 17.08.2012 होनी चाहिए, यानी वह तारीख जो निदेशक मंडल ने 17.08.2012 को हुई अपनी बैठक में तय की थी और 07.12.2015 को लिए गए निर्णय की पुष्टि करना। बोर्ड ने आगे निर्णय लिया कि वेतन का कोई काल्पनिक निर्धारण स्वीकार्य नहीं है और लेखा लिपिकों द्वारा लिए गए अतिरिक्त भुगतान को काल्पनिक निर्धारण के आधार पर 01.01.2006 से या ज्वाइन की तरिक्ष से समायोजित करने का निर्णय

लिया गया, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण उन्हें दिए जाने वाले एरियर के विरुद्ध। बोर्ड ने निर्देश दिया कि शेष राशि, यदि कोई हो, को संबंधित कर्मचारियों की वर्तमान कमाई के विरुद्ध 15 समान मासिक किस्तों में समायोजित किया जाना चाहिए। तदनुसार बोर्ड के पूर्वोक्त निर्णय को प्रभावी करते हुए एचपीजीसीएल द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 31.10.2007 जारी किया गया था।

(13) यह इस तथ्यात्मक परिवेश में है कि याचिकाकर्ता संशोधित वेतनमान तक अपनी पात्रता को सीमित करने में एचपीजीसीएल की कार्रवाई पर हमला करते हैं और पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ इस तरह के लाभ की मांग करते हैं। उनका तर्क है कि राज्य के सिंचाई विभाग में लेखा लिपिकों के साथ उन्हें हर तरह से समानता से वंचित करने की एचपीजीसीएल की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (डी) का उल्लंघन है।

(14) एचपीजीसीएल ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया कि लेखा लिपिकों के वेतनमान में संशोधन के प्रस्ताव को शुरू में वर्ष 2009 में मंजूरी दी गई थी। इसे लागू क्यों नहीं किया गया, इसके कारणों के बारे में विस्तार से बताया गया है और इसके बाद इस पर अलग से विचार किया जाएगा। एचपीजीसीएल. ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बाद में 17.08.2012 को आयोजित बैठक में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज की सहमति के अधीन उसी प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद के घटनाक्रमों को स्वीकार करते हुए, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा

निर्धारित किया गया था और विस्तृत उपर्युक्त, एचपीजीसीएल ने तर्क दिया कि इसके निदेशक मंडल ने केवल 17.08.2012 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए 18.09.2017 को निर्णय लिया। एचपीजीसीएल ने दावा किया कि चूंकि इस न्यायालय ने उसे यह तय करने के लिए खुला छोड़ दिया है कि किस तारीख से संशोधित वेतनमान को बढ़ाया जाना है, इसलिए केवल 17.08.2012 से निर्णय को प्रभावी बनाने की उसकी कार्रवाई कानूनी और वैध थी। इसने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं को पहले की तारीख से वेतनमान देने से एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ पड़ेगा और चूंकि वित्तीय वर्ष 2004-05 से इसे भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कोई भी पूर्वव्यापी लाभ देना संभव नहीं होगा।

इसलिए इसने वेतन संशोधन की तारीख को 17.08.2012 के रूप में निर्धारित करने में अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और याचिकाकर्ताओं को किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली में अपनी आगे की कार्रवाई को पहले के काल्पनिक निर्धारण यानी 01.01.2006 के अनुसार उचित ठहराया।

(15) याचिकाकर्ताओं के दावे के गुण-दोष पर जोर देने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान का अनुच्छेद 39 (डी), जिसे याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाया गया था, इस मामले में किसी भी तरह से लागू नहीं होता है। इस तथ्य के इलावा कि उक्त अनुच्छेद अध्याय 4 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, जो न्यायोचित नहीं हैं,

उक्त प्रावधान के लिए राज्य को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता एचपीजीसीएल की सेवा में हैं और राज्य विभाग की सेवा में लेखा लिपिकों के साथ समानता चाहते हैं। एक बार जब नियोक्ता अलग-अलग हो जाते हैं, तो दो अलग-अलग संगठनों के कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करने का सवाल आम तौर पर नहीं उठेगा। यह कहा जा रहा है कि यह ध्यान दिया जा सकता है कि एचपीजीसीएल ने अपने विवेक से इस तरह की समानता को लागू करने का विकल्प चुना और एकमात्र मुद्दा जो विचार के लिए बचा है वह वह तारीख है जिससे एचपीजीसीएल की सेवा में लेखा लिपिकों को इस तरह का लाभ दिया जाना चाहिए।

(16) यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हालांकि याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वेतनमान में इस तरह के संशोधन को राज्य की सेवा में लेखा लिपिकों के वेतनमान में संशोधन के बराबर 01.01.2006 से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन एचपीजीसीएल में लेखा लिपिकों के पदों को वर्ष 2007 में ही गैर-तकनीकी पदों के पुनर्गठन के समय मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया कि केवल वर्ष 2008 में लेखा क्लर्क के रूप में एचपीजीसीएल की सेवा में प्रवेश किया। इसलिए एचपीजीसीएल में पदों के अस्तित्व से पहले की तारीख से वेतन संशोधन का लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता है। याचिकाकर्ता, अधिक से अधिक, वर्ष 2008

में अपनी नियुक्ति की तारीख से ही ऐसी समानता की मांग करने के हकदार होंगे।

(17) हालाँकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि एचपीजीसीएल के निदेशक मंडल ने वर्ष 2009 में ही इस मुद्दे पर विचार किया था और अपने प्रस्ताव दिनांक 04.11.2009 द्वारा, बोर्ड ने राज्य सेवा में लेखा लिपिकों के वेतनमान के साथ अपनी सेवा में लेखा लिपिकों के वेतनमान की समानता लाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज को उसकी सहमति के लिए भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने दिनांक 02.04.2010 को पत्र लिखकर एचपीजीसीएल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त अस्वीकृति को कभी भी चुनौती नहीं दी गई और यह मामला वर्ष 2012 में फिर से विचार किए जाने तक लंबित रहा। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब एचपीजीसीएल के बोर्ड ने 17.08.2012 को आयोजित अपनी बैठक में एक बार फिर समानता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, तो इसे फिर से हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की मंजूरी के अधीन कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उक्त निकाय के निर्णय के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद मामला इस अदालत के समक्ष आया और सीडब्ल्यूपी-23816-2013 और सीडब्ल्यूपी-24965-2013 में पारित सामान्य आदेश दिनांक 23.04.2015 द्वारा, इस अदालत ने माना कि

हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है और एचपीजीसीएल में लेखा लिपिकों को दिए जाने वाले लाभ को प्रतिबंधित करने के अपने फैसले को दरकिनार कर दिया।

(18) इस स्तर पर यह ध्यान दिया जा सकता है कि एचपीजीसीएल द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाएं, यदि कोई हों, तो इस स्तर पर यह तय नहीं किया जाएगा कि एचपीजीसीएल के बोर्ड के निर्णयों के संदर्भ में लेखा क्लर्कों को किस तारीख से लाभ दिया जाना चाहिए। इस तरह का निर्णय लेने के बाद, एचपीजीसीएल के लिए अब इस आधार पर इसे प्रतिबंधित करने की अनुमति नहीं है कि वह भारी वित्तीय नुकसान का सामना कर रहा है। जब तक वह याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का लाभ उठाता है और इस स्वीकार किए गए रुख को देखते हुए कि उसने वेतनमान की समानता लाने का विकल्प चुना है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, एचपीजीसीएल मौद्रिक विचारों पर अपने स्वयं के निर्णय को लागू करने में संकोच नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि एचपीजीसीएल में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान को राज्य सेवा में अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान के बराबर लाने के लिए 01.01.2006 से संशोधित किया गया था, जैसा कि वर्ष 2009 में प्रस्तावित किया गया था और इसे एचपीजीसीएल के बोर्ड द्वारा इसके निर्णय दिनांक 21.10.2013 की 93वी बैठक में लागू किया गया था।

(19) इस संबंध में, यह न्यायालय इस अकाट्य तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि एचपीजीसीएल ने स्वयं बहुत पहले राज्य सेवा में

लेखा लिपिकों के साथ अपनी सेवा में लेखा लिपिकों के बीच समानता लाने का संकल्प लिया था। उक्त प्रस्ताव दिनांक 04.11.2009 को प्रभावी नहीं किए जाने का एकमात्र कारण 2010 में हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा उसकी अस्वीकृति थी। हालाँकि, जैसा कि अब यह तय हो गया है कि एचपीजीसीएल द्वारा इस तरह के निर्णय लेने में हरियाणा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं को कम से कम उस तारीख से वेतन संशोधन के लाभ से वंचित करने का कोई कारण नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2012 में भी एचपीजीसीएल द्वारा सरकार को संबोधित अपने पत्र दिनांक 03.09.2012 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव यह था कि इस तरह की समानता को 01.01.2006 से लागू किया जाना चाहिए। एचपीजीसीएल अब उस तथ्य और अपने पहले के निर्णय दिनांक 04.11.2009 को आसानी से नजरअंदाज करना चाहता है और इसे 17.08.2012 पर लाकर इस तरह के प्रस्ताव को प्रभावी बनाने की तारीख को संशोधित करना चाहता है। हालाँकि, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, जब बोर्ड के बाद के निर्णय को हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज के समक्ष उसी अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन किया गया था, तो इस न्यायालय द्वारा इसे शून्य कर दिया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, इस तथ्य के बावजूद कि बोर्ड के पहले के निर्णय को किसी भी समय चुनौती नहीं दी गई थी, बोर्ड के पहले के निर्णय को बदनाम करने का कोई कारण नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री उपलब्ध नहीं

है कि इस तरह की अस्वीकृति के बारे में याचिकाकर्ताओं को कभी बताया गया था, जिसके तहत अब उन पर देरी करने का आरोप लगाया जा सकता है।

(20) एचपीजीसीएल को तदनुसार राज्य के सिंचाई विभाग में लेखा लिपिकों के साथ अपने लेखा लिपिकों के वेतनमान की समानता लाने के अपने निर्णय को यानी 04.11.2009 से लागू करने का निर्देश दिया जाता है, जो ऐसा करने के अपने प्रारंभिक निर्णय की तारीख है। इस तरह के संशोधित वेतन के बकाया का निर्धारण किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं को वितरित किया जाएगा। जैसा कि यह कहा गया है कि एचपीजीसीएल ने विवादित आदेशों के पारित होने के बाद वसूली को प्रभावित किया और 17.08.2012 से ऐसी समानता को लागू करने के अपने बाद के निर्णय को भी प्रभावी बनाया, एचपीजीसीएल इस आदेश के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं और अन्य लेखा क्लर्कों को अपनी सेवा में देय वास्तविक बकाया राशि का भुगतान करने का प्रयास करेगा और उनके लिए देय शेष राशि जारी करने के लिए कदम उठाएगा । इस अभ्यास को करने के लिए पूर्वोक्त निर्देश के आलोक में, याचिकाकर्ताओं द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के संबंध में अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर सीएम-5729-सीडब्ल्यूपी-2018 में इस स्तर पर कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय प्रस्तावित वसूली की तुलना करता है। जैसा कि ऊपर निर्देशित है, कार्य

शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा।

(21) रिट याचिका को ऊपर बताए गई सीमा तक मंजूर किया गया है। सीएम-5729-सीडब्ल्यूपी-2018 बंद है। लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, तो भी बंद रहेंगी | कोस्ट के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

त्रिभुवन दहिया

सुमन देवी ट्रांसलेटर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।